



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2402]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 11, 2013/आश्विन 19, 1935

No. 2402]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 2013/ASVINA 19, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2013

का.आ. 3095(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 3 और 4 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 (1985 का 2) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हेतु छोड़े गए कार्यों के अलावा, पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का निम्नवत पुनर्गठन करती है :—

|    |                                     |         |
|----|-------------------------------------|---------|
| 1  | शहरी विकास मंत्री                   | अध्यक्ष |
| 2. | आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री     | सदस्य   |
| 3. | रेल मंत्री, भारत सरकार              | सदस्य   |
| 4. | शहरी विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार | सदस्य   |
| 5. | हरियाणा के मुख्य मंत्री             | सदस्य   |
| 6. | राजस्थान के मुख्य मंत्री            | सदस्य   |
| 7. | उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री        | सदस्य   |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 8.  | उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली      | सदस्य      |
| 9.  | दिल्ली की मुख्य मंत्री                             | सदस्य      |
| 10. | नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री, हरियाणा सरकार         | सदस्य      |
| 11. | शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार                  | सदस्य      |
| 12. | शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार              | सदस्य      |
| 13. | सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार              | सदस्य      |
| 14. | मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार                          | सदस्य      |
| 15. | मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार                         | सदस्य      |
| 16. | मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार                     | सदस्य      |
| 17. | मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | सदस्य      |
| 18. | अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण       | सदस्य      |
| 19. | सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  | सदस्य-सचिव |

**अतिरिक्त सहयोगी सदस्य**

1. नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
2. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

[सं. के-11019/3/2012-डीडीVI]

पी.टी. जेम्सकुट्टी, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2013

**S.O. 3095(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) read with rules 3 and 4 of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 and in supersession of the earlier Notifications except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the National Capital Region Planning Board as follows:—

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Union Minister of Urban Development                      | Chairman |
| 2. | Union Minister of Housing & Urban Poverty Alleviation    | Member   |
| 3. | Minster for Railways, Govt. of India                     | Member   |
| 4. | Minister of State for Urban Development, Govt. of India  | Member   |
| 5. | Chief Minister of Haryana                                | Member   |
| 6. | Chief Minister of Rajasthan                              | Member   |
| 7. | Chief Minister of Uttar Pradesh                          | Member   |
| 8. | Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi | Member   |

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 9.  | Chief Minister of Delhi                                       | Member           |
| 10. | Minister of Town & Country Planning, Govt. of Haryana         | Member           |
| 11. | Minster of Urban Development, Govt. of Rajasthan              | Member           |
| 12. | Minister, Urban Development, Govt. of Uttar Pradesh           | Member           |
| 13. | Secretary, Ministry of Urban Development, Govt. of India      | Member           |
| 14. | Chief Secretary, Govt. of Haryana                             | Member           |
| 15. | Chief Secretary, Govt. of Rajasthan                           | Member           |
| 16. | Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh                       | Member           |
| 17. | Chief Secretary, Govt. of National Capital Territory of Delhi | Member           |
| 18. | Chairman, National Highways Authority of India                | Member           |
| 19. | Member Secretary, National Capital Region Planning Board      | Member-Secretary |

Additional Coopted Members

1. TCPO
2. Secretary, M/o HUPA

[No. K-11019/3/2012-DDVI]  
P.T. JAMESKUTTY, Under Secy.